न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बाडमेर

पीठासीन अधिकारी :—श्रीमती कुसुमलता चौहान (आर.ए.एस.)

राजस्व आवेदन संख्याः— 53/2022

प्रार्थी :— लच्छाराम पुत्र भीमाजी जाति माली निवासी वेरानाडी कुण्डल तहसील सिवाना जिला बाडमेंर राज.।

बनाम

विप्रार्थीगण :—

1. मृतक स्व. सांवलराम पुत्र भीमाजी जाति माली के कायम मुकाम।
   1/1 पारसराम पुत्र स्व. सांवलराम जाति माली निवासी वेरानाडी तहसील सिवाना जिला बाडमेंर।
2. गीगाराम पुत्र चौथाराम जाति माली के कायम मुकाम।
   2/1 भैराराम पुत्र स्व.गीगाराम जाति माली निवासी वेरानाडी
   2/2 माणकचन्द पुत्र स्व.गीगाराम जाति माली निवासी वेरानाडी
   2/3 जबराराम पुत्र स्व. गीगाराम जाति माली निवासी वेरानाडी
   2/4 आम्बू देवी पत्नि स्व. गीगाराम जाति माली निवासी वेरानाडी
3. घेवरराम पुत्र चौथाराम जाति माली निवासी वेरानाडी तहसील सिवाना जिला बाडमेंर राज.।
4. मदनलाल पुत्र चौथाराम जाति माली निवासी वेरानाडी तहसील सिवाना जिला बाडमेंर राज.।
5. मोहनलाल पुत्र चौथाराम जाति माली निवासी वेरानाडी तहसील सिवाना जिला बाडमेंर राज.।
6. हरिया पुत्र चौथाराम जाति माली निवासी वेरानाडी तहसील सिवाना जिला बाडमेंर राज.।
7. पुखराज पुत्र पदमाराम जाति माली निवासी वेरानाडी तहसील सिवाना जिला बाडमेंर राज.।
8. अणसी देवी पत्नि पदमाराम जाति माली निवासी वेरानाडी तहसील सिवाना जिला बाडमेंर राज.।
9. देवाराम पुत्र पदमाराम जाति माली निवासी वेरानाडी तहसील सिवाना जिला बाडमेंर राज.।
10. घेवाराम पुत्र रूपाराम जाति सुथार निवासी वेरानाडी तहसील सिवाना जिला बाडमेर राज.।
11. झूंझाराम पुत्र हराराम जाति रबारी निवासी वेरानाडी तहसील सिवाना जिला बाडमेंर राज.।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

12. बीजाराम पुत्र हराराम जाति रबारी निवासी वेरानाडी तहसील सिवाना जिला बाड़मेंर राज.।
13. मांगाराम पुत्र हराराम जाति रबारी निवासी वेरानाडी तहसील सिवाना जिला बाड़मेंर राज.।
14. चौथाराम पुत्र सांवलाराम जाति रबारी निवासी वेरानाडी तहसील सिवाना जिला बाडमेंर राज.।
15. सांवलराम पुत्र ओखाराम जाति रबारी निवासी वेरानाडी तहसील सिवाना जिला बाडमेंर राज.।
16. ढलाराम पुत्र मालाराम जाति मेघवाल निवासी वेरानाडी तहसील सिवाना जिला बाडमेंर राज.।
17. देवली पत्नि मालाराम जाति मेघवाल निवासी वेरानाडी तहसील सिवाना जिला बाडमेर राज.।
18. मंगलाराम पुत्र मालाराम जाति मेघवाल निवासी वेरानाडी तहसील सिवाना जिला बाडमेंर राज.।
19. आम्बाराम पुत्र पूनमाराम जाति सुथार निवासी वेरानाडी तहसील सिवाना जिला बाडमेंर राज.।
20. पुखराज पुत्र पूनमाराम जाति सुथार निवासी वेरानाडी तहसील सिवाना जिला बाडमेंर राज.।
21. बाबू पुत्र पूनमाराम जाति सुथार निवासी वेरानाडी तहसील सिवाना जिला बाडमेंर राज.।
22. वसनाराम पुत्र पूनमाराम जाति सुथार निवासी वेरानाडी तहसील सिवाना जिला बाडमेंर राज.।
23. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई मोकलसर तहसील सिवाना जिला बाडमेर राज.।
24. शाखा प्रबन्धक, एस.बी.आई.कृषि विकास शाखा सिवाना तहसील सिवाना जिला बाडमेर राज.।
25. शाखा प्रबन्धक, बालोतरा सहकारी भूमि विकास बैक सिवाना तहसील सिवाना जिला बाडमेर राज.।
26. शाखा प्रबन्धक, आई.सी.आई.सी.आई शाखा ओटवाला तहसील सायला जिला जालोर राज.।
27. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार, सिवाना।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू.राजस्व अधिनियम

उपस्थित :–

1. **श्री ललित जांगिड, गणपतसिंह गोलिया अधिवक्तागण प्रार्थी की ओर से।**

: आदेश :– 19.7.22

दिनांक :–

प्रार्थी ने यह प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 111 सपठित धारा 128 रा. भू.रा. अधि हेतू नेखम पैमाईश जरिये पत्थरगढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया, विप्रार्थीगण के विरूद्ध बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2071–2074 सरहद मौजा वेरानाडी कुण्डल पटवार मण्डल कुण्डल तहसील सिवाना के खेत खसरा संख्या 879/703 रकबा 5.1962 हैक्टेयर का अवलोकन किया, जिसमें प्रार्थी का नाम बतौर खातेदारी के दर्ज है, प्रार्थी की भूमि के चारो ओर सीमाचिन्ह व पक्की माठे नही होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारान के साथ उत्पन्न हो जाती है, जिससे बचने के लिए प्रार्थी अपने भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। दोनो पक्षकारान की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवा कर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतित नही होने एवं प्रार्थी विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सिवाना को आदेशित किया जाता है कि दोनो पक्षकारो की उपस्थिति में विवादित स्थल सरहद मौजा वेरानाडी कुण्डल के खसरा संख्या 879/703 रकबा 5.1962 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारो ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतू तहसीलदार सिवाना को 500 रू शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है, कमीश्नर शुल्क प्रार्थी मौके पर अदा करेंगे आवश्यकता होने पर तहसीलदार सिवाना को थानाधिकारी पुलिस थाना सिवाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतू अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार सिवाना बाद पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे, तहरीर जारी हो, पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफतर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 19.5.25 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी सिवाना

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बाडमेर

क्रमांकः वाद/प्रार्थनापत्र/2022/1571

दिनांक : 23-09-22

प्रार्थी – लच्छाराम बनाम विप्रार्थीगण – मृतक सांवल के कायम मुकाम वगैरा।

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा.अधि हेतू नेखम पैमाईश जरिये पत्थरगढी

राजस्व आवेदन संख्या :– 53/2022 **निर्णय दिनांक :–** 19.9.22

–: आदेश :–

प्रकरण में ग्राम वेरानाडी के खेत खसरा संख्या 879/703 रकबा 5.1962 हैक्टेयर की भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतू तहसीलदार सिवाना को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है कमीश्नर फीस 500 रू प्रार्थी अदा करेंगे।

उपरोक्तानुसार नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतू अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाडमेर)